

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.5(111)/निपेवि/नियम/97/पार्ट-II

१७-१५०४

दिनांक : 6.2.15

निदेशक,
कोष एवं लेखा विभाग,
राज. जयपुर।

विषय :- पेंशन भुगतान आदेश पर रूपान्तरित पेंशन की पुनर्वहाली की दिनांक अंकित करने के संबंध में।

प्रसंग :- वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.15(4)वित्त/नियम/97 दिनांक 02.08.2005

महोदय,

राज्य सरकार की प्रासंगिक अधिसूचना द्वारा पेंशन भुगतान आदेश पर रूपान्तरित पेंशन की पुनर्वहाली की तिथि अंकित करने के निर्देश जारी किये गये थे। विभिन्न चर्चाओं से यह ज्ञात हुआ था कि पेंशनरों की पेंशन का दिनांक 01.01.2007 से समेकन करते समय यह कार्य पूरा कर लिया गया था। हाल ही में यह ध्यान में लाया गया कि कोषाधिकारी द्वारा कुछ मामलों में पेंशन भुगतान आदेश पर रूपान्तरित पेंशन पुनर्वहाली की तिथि अंकित नहीं की गयी।

अतः निवेदन है कि वित्त विभाग की प्रासंगिक अधिसूचना के अनुसार कार्यवाही कराने का श्रम करें।

भवदीय

६

(डी.के. मित्तल)

निदेशक

क्रमांक : प.5(111)/निपेवि/नियम/97/पार्ट-II

१७-१५०४

दिनांक : 6.2.15

प्रतिलिपि :- कोषाधिकारी, समस्त राजस्थान को पालनार्थ प्रेषित है।

निदेशक